रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062021-227405 CG-DL-E-07062021-227405

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2009]

No. 2009]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2021/ज्येष्ठ 17, 1943 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2021/JYAISHTHA 17, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जून, 2021

का.आ. 2166(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पिठत धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2), धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 4 दिसंबर, 2019 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित का.आ. सं 4353(अ) के द्वारा प्लग एंड सॉकेट-ऑउटलेट्स और अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट कनेक्टेड स्टेटिक प्रिपेमेंट मीटर फॉर ऐक्टिव एनर्जी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 के अधिक्रमण में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को प्लग एंड सॉकेट-ऑउटलेट्स और अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट कनेक्टेड स्टेटिक प्रिपेमेंट मीटर फॉर ऐक्टिव एनर्जी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 कहा जाएगा।
- (2) इस आदेश में अन्यथा किए गए प्रावधान को सुरक्षित रखते हुए, यह आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

3016 GI/2021 (1)

- 2. अनुप्रयोग 01 जून, 2022 से, यह आदेश नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान पर लागू होगा, लेकिन इसमें से कुछ भी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।
- 3. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-॥ की स्कीम-। के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।
- 4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो होगा।

तालिका

क्रम सं.	वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्लग एंड सॉकेट-ऑउटलेट्स	आईएस 1293: 2005	250 वोल्ट सहित 250 वोल्टेज तक रेटेड और 16 एम्पीयर सहित 16 एम्पीयर करंट तक रेटेड प्लग एंड सॉकेट-ऑउटलेट्स - विशेषताएं
2.	अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट कनेक्टेड स्टेटिक प्रिपेमेंट मीटर फॉर ऐक्टिव एनर्जी	आईएस 15884:2010	अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट कनेक्टेड स्टेटिक प्रिपेमेंट मीटर फॉर ऐक्टिव एनर्जी (क्लास-1 और 2) – विशेषताएं

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, उनके संबंध में जारी संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, उक्त ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

[फा.सं.29014/39/2017-एलईआई] अनिल अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 7th June, 2021

- **S.O. 2166(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16, section 17 read with sub-section (3) section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Plugs and Socket-Outlets and Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (Quality Control) Order, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4353(E), dated 4th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Plugs and Socket-Outlets and Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (Quality Control) Order, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in this order, it shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

- **2. Application.-** With effect from the 1st June,2022, this order shall apply to goods or articles specified in column (2) of the Table below, but nothing herein shall apply to said goods or articles meant for export.
- **3.** Compulsory use of Standard Mark.- Goods or articles specified in column (2) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (3) thereof and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulation, 2018.
- **4.** Certification and enforcement authority. In respect of the goods or articles specified in the column (2) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

TABLE

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Plugs and socket-outlets	IS 1293:2005	Plugs and socket-outlets of Rated Voltage up to and including 250 Volts and Rated current up to and including 16 amperes – specification.
2.	Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy	IS 15884:2010	Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (Class1 and 2)- Specification.

Note: For the purpose of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time-to-time, shall apply from such date as notified by the said Bureau.

[F. No. 29014/39/2017-LEI] ANIL AGRAWAL, Addl. Secy.